न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 76 / 2014
निर्णय दिनांक– 06.08.2019

उनवान

1. लड्डू पुत्र नाथ्या जाति बैरवा निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. फूला पुत्री नाथ्या जाति बैरवा निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1.मोती पुत्र परस्या जाति मीना निवासी पचाला तह0 उनियारा जिला टोंक
2.केदार पुत्र परस्या जाति मीना निवासी पचाला तह0 उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र नियुक्त करने रिसीवर
उपस्थितः– श्री बाबूलाल कासलीवाल वकील प्रार्थीगण
श्री के0एल0 ठाडा वकील प्रतिपक्षीगण

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण वादीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.6.2014 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का इस प्रकार निर्णय किया गया था कि प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 393 / 158 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तह0 उनियारा मे किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना कब्जा करने का प्रयास करे, ना तो स्वयं और ना ही जरिये ऐजेन्ट , नोकर , पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावे। न्यायालय हाजा का उक्त आदेश आज भी यथावत है, परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोहबन्द, बदमाश प्रवृति के व्यक्ति होने के कारण न्यायालय हाजा के उक्त आदेशों की तनिक भी परवाह नही कर रहे है तथा जबरन आराजी पर कब्जा करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है। परसो प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात की हकाई जुताई की तो प्रतिपक्षीगण अवैधानिक रूप से उक्त आराजी पर आकर ट्रेक्टर के आडे फिर गये तथा जबरन काश्त मे मजाहेमत व मदाखलत करने लगे तथा न्यायालय हाजा से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द होने के बारे मे भी जानकारी दी तो प्रतिपक्षीगण ने ऐलानिया कहा कि उक्त आराजी को तुमने काश्त कर दी तो क्या हुआ, हम जबरन फसल काश्त करेगें तथा फसल काट कर ले जावेगे। प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण का मुकाबला करने मे सक्षम नही है, प्रतिपक्षीगण जबरन प्रार्थी की हकाई जुताई की आराजी पर फसल काश्त करने पर आमादा है। इस कारण उक्त

Scanned by CamScanner

आराजी पर तहसीलदार जी उनियारा को रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 393/158 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील उनियारा पर तहसीलदार जी उनियारा को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय प्रतिपद्वीगण की एक तरफा कार्यवाही के दौरान किया गया है। पत्रावली पर प्रतिपक्षीगण की कोई तामील उपलब्ध नही है। उक्त निर्णय के विरूद्व प्रतिपक्षीगण ने पुर्नरावलोकन निर्णय दिनांक 10.6.2014 का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर रखा है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता नाथ्या के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी, जिसे अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 22.2.2005 को प्रतिपक्षी न0 1 को 100/– (50–50) के दो स्टाम्प पर राशि 3,00,000/–रूपये मे विक्रय कर दी थी एवं मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण को संभला दिया था, जिस पर बतोर सहमति प्रार्थी न0 1 ने अपनी अंगूठा निशानी की थी, जिसके विक्रय बाबत प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी है, उसके बावजूद न्यायालय हाजा के समक्ष वास्तविक तथ्य छिपाकर उक्त झूठा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कतई चलने योग्य नही है। उक्त आराजी पर तहसीलदार जी उनियारा को रिसीवर नियुक्त करना या रिसीवरी मे देना कतई न्यायोचित नहीं है, अन्यथा प्रतिपक्षीगण तबाह व बरबाद हो जावेगे तथा बाल बच्चे भूखे मर जावेगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार न्यायालय का विवेचन निम्नवत है:–

प्रार्थना पत्र संख्या 14/2012 बउनवान लड्डू वगैरह बनाम मोती वगैरह मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.06.2014 को निर्णय किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है कि वे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 393/158 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तह0 उनियारा मे किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना कब्जा करने का प्रयास करे, ना तो स्वयं और ना ही जरिये ऐजेन्ट , नोकर , पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावे। उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही नही की गई है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा ईकरारनामा विक्रय पत्र अन रजिस्टर्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता के द्वारा वादग्रस्त आराजी को मोतीलाल पुत्र परसराम जाति मीना निवासी

Scanned by CamScanner

पचाला को फरोक्त करकब्जा मौका प्रदान किया जाना पाया जाता है। उक्त दस्तावेज मे प्रार्थी लड्डू के भी सहमति के हस्ताक्षर है। उक्त दस्तावेज अवैधानिक है, यद्यपि जिसके द्वारा भूमि का हस्तान्तरण स्वयं की सहमति से किया गया हैं। प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर तहसील उनियारा मे किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है और ना ही पुलिस कार्यवाही की गई है।

वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना एक कठोरतम कार्यवाही होगी। ऐसी स्थिति मे न्यायालय वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे तहसीलदार उनियारा को रिसीवर नियुक्त करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रिसीवरी खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सन्तोष कुमार मीना
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner